उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

संदर्भ संख्या: H05562/सी–3/NGT 361/2024 दिनांक: 12/01/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Response in compliance of the order dated- 01.11.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 673 of 2023.

Sir,

In compliance of the order dated- 01.11.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 673 of 2023 News Item Titled "Four Dead Five Injured After Blast In Soap Factory In Meerut" Appearing In Hindustan Times Dated- 17.10.2023. The Response is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Enclosure- As above

Yours Sincerely

( Sanjeev Kumar Singh )
Member Secretary

Copy to:

1. Shri Pradeep Mishra, Advocate on Record, Hon'ble Supreme Court/ NGT, New Delhi for necessary action please.
2. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action please.
3. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Meerut for information and necessary action.

Member Secretary

**Response in compliance of the order dated 01.11.2023 Passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No. 673/2023 SuoMotu In re: News item appearing in Hindustan Times dated 17-10-2023 entitled "Four dead, five injured after blast in soap factory in Meerut."**

The main relevant contents of the order given by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi order dated 1.11.2023 in OA No. 673/2023 SuoMotu In re: News item appearing in Hindustan Times dated 17-10-2023 entitled "Four dead, five injured after blast in soap factory in Meerut" are as under:-

*"... 3. The report further reveals that many such industrial activities are going on in the buildings in Lohia Nagar Residential area and that the units were operating without requisite permissions from the competent authorities. As per the report, there is a possibility that the unit was using hazardous chemicals. The report reveals that substantial issue relating to compliance of the environmental laws is involved in the matter.*

*4. Hence, we impleads the following as respondents in the OA:-*

*i. District Magistrate, Meerut*

*ii. Vice Chairman, Meerut Development Authority*

*iii. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board*

*iv. AlokRastogi, M-307, Lohia Nagar, Meerut*

*v. Gaurav Gupta s/o Shri Viren Gupta r/o 428/7 Sector-7, JagratiVihar, Meerut*

*5. Let notice be issued to the above respondents except the District Magistrate, Meerut who is present by virtual mode today.*

*6. The report filed by the District Magistrate, Meerut does not disclose the action which has been taken for grant of compensation to the family members of the deceased victims and to ascertain the real cause of the blast in the soap factory. District Magistrate, present in person, seeks further time to file a report in this regard within two weeks.*

*7. List this matter on 16.01.2024."*

As per the instructions, the site was inspected on 25.10.2023. It was noted that waste from a completely demolished house was lying at the site. The building was demolished due to the blast that took place in the morning on 17.10.2023. Most of the debris was removed during rescue operations. The location of the site is Lohia Nagar residential area of Meerut. On asking around, it was found that on 17.10.2023, around 07 am, a loud bang was heard. Smoke was seen rising towards the sky from the house and the house collapsed. The administration team carried out rescue work.

The place of incident has been stated to be House No. M-307, Lohia Nagar, Meerut and the owner of the building has been stated to be Sanjay Gupta. Some people took the house on rent and used to store soap and phenyl and buy/sell and repair old printing machines. A plastic goods manufacturing factory was being operated in the house. It was also notice that the electricity connection in the building was taken by the building owner.

Through this office's letter dated 19.10.2023, the District Administration has been informed in continuation of their letter dated 18.10.2023 that even if any type of industry applies having residential land use, Consent To Establish and Operation (CTE/CTO) is not provided by the UPPCB as per the order dt.13.08.2023 passed by the Hon'ble High Court, Allahabad in Writ Petition No. 34957/2003 Smt. Mithilesh Jain vs. State of Uttar Pradesh and others. **(Annexure-1)**

Consent To Establish and Operation (CTE/CTO) is not issued from the regional office level for any production or business at the referred site.

It is noteworthy that in compliance of the order dt. 30.10.2019 passed in OA No. 65/2019 by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi, Department of Environment Forest and Climate Change, (UP Government) vide its order no NGT-613(1)81-7-2019-152(Writ)/2016 dt. 28.11.2019 **(Annexure-2)** has directed Urban Development/ Housing and Urban Planning/Energy/Infrastructure and Industrial Development Department for closure of industrial units established/ operated in residential areas/shifting them to suitable places as per order of Housing and Urban Planning Section's letter No. CS-89/9-aa-3-2003-62writ/2003, dt.05.09.2003 issued earlier.

It is further noteworthy that Chairman, UP Power Corporation Ltd, Lucknow vide its Letter No.: 1017/मु0अभि0(वा0ऊ0ल0)/राजस्वप्रथम/नि0मि0, Dated: 02.11.2020 has directed to Managing Directors, Vidyut Vitran Nigam Ltd of Dakshinanchal, Agra/Madhyanchal, Lucknow/Purvanchal, Varanasi and Pashchimanchal, Meerut for not issuing temporary and permanent industrial connections to Red and Orange type industries without obtaining CTE/CTO from UPPCB. **(Annexure-3)**

Action against the industries operating in the residential area in violation of land use is to be taken by the concern department like Development Authority, regulated area authority and Electricity Department etc.

Annexure-1
(संलग्नक I)

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्लॉट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– [illegible]/G/18/क॰– मेरठ/2023
सेवा में

दिनांक– 19-10-23

अपर जिलाधिकारी(नगर),
मेरठ।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–681/एसटी–नगर/जांच/2023 दिनांक–18/10/2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

तत्क्रम में बिन्दुवार अवगत कराना है कि–

1. लघु, मध्यम या वृहद स्तर के प्रदूषणभार के आधार पर वर्गीकृत हरित, नारंगी, लाल श्रेणी के उद्योगों के द्वारा पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to Establish-CTE and Consent to Operate-CTO) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त अनुमन्य भू प्रयोग पर स्थापित/संचालित श्वेत श्रेणी के उद्योगों को स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने से छूट प्रदान की गयी है यद्यपि इनके द्वारा आनलाइन सूचना प्रस्तुत किया जाना प्राविधानित है।
2. सूचित करना है कि लोहिया नगर आवासीय क्षेत्र में किसी लघु उद्योग द्वारा इस कार्यालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभाग द्वारा उक्त आवासीय क्षेत्र में कोई CTE/CTO निर्गत नहीं किया गया है । अग्रेतर अवगत कराना है कि आवासीय भूउपयोग पर किसी भी प्रकार के उद्योग को आवेदन करने पर भी मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–34957/2003 श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–13/08/2023 के क्रम में शासनादेश संख्या–सीएस– 89/9–आ–3–2003–62रिट/2003 दिनांक–05/09/2003 के दृष्टिगत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ सहमति नहीं दी जाती है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-2
(संलग्नक-II)

पत्रांक 2964/3-4 प्रा.ए एम एस कैम्प/2019
दिनांक 04/12/19

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–NGT-613/81-7–2019–152(रिट)/2016
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7,
लखनऊ : दिनांक : 28 नवम्बर, 2019

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में संचालित औद्योगिक इकाईयों के बन्दी/शिफ्टिंग विषयक सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–एच 43645/सी–4/ओ0ए0 संख्या–64/2019, दिनांक 13.11.2019 के साथ संलग्न मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–65/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् है :–

"The Tribunal directed as follows:

> "IV. Concerned States may evolve enforcement mechanism for closing/shifting of industrial units other than household industries from residential/non conforming areas in the light of law laid down in M.C. Mehta Vs Union of India, (2204) 6SCC 588."

8. Vide order dated 09.07.2019 in OA No. 359/2019, Mohammad Yusuf Abdullah Shaikh & Ors V. State of Maharashtra & Ors, this Tribunal observed:

> "9. Polluting Industries cannot be allowed in a residential area, Town Planning authorities have to adopt and enforce appropriate regulatory measures. 2 Land holding authorities must be held accountable for their failure. Similarly, wherever polluting activities found, steps have to be taken to stop such activities and to recover compensation and restoring the environment. Regulatory authorities must perform their duties. 3 Reference may also be made to some of the orders of this Tribunal dealing with somewhat similar situations."

9. It will be appropriate that consistent with the directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal, the State of UP takes further appropriate action to implement the order of the High Court as affirmed by the Hon'ble Supreme Court referred to in Para 1 above and files an appropriate compliance affidavit before the next date.

10. A copy of this order be also sent to the Committee constituted by this Tribunal dated 21.10.2019 in Original Application No. 670/2018,

CEO (C-4)
04/12/19
(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव
05/12/19

Atul Singh Chauhan V. Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. headed by Justice S.K Singh, former Judge of the Allahabad High Court.

The said Committee may also monitor remedial measures in the matter and furnish a report to this Tribunal by email judicialngt@gov.in.

List for futher consideration on 06.02.2020.

प्रदेश में आवासीय क्षेत्र में स्थापित व संचालित औद्योगिक इकाईयों को बन्द कराने एवं उचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा श्रीमती मिथिलेश जैन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य 2003(6) ए. डब्ल्यू.सी. 4742 में आदेश दिनांक 13.08.2003 पारित किया गया था, जिसके अनुपालनार्थ आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-सीएस-89/9-आ-3-2003-62रिट/2003, दिनांक 05.09.2003 द्वारा शासनादेश जारी किया गया था कि आवासीय क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर औद्योगिक इकाईयों को संचालन से रोका जाये। इसी अनुक्रम में तत्कालीन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा भी शासनादेश जारी किया गया था।

2- अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 30.10.2019 के अनुपालन में आवासीय क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित औद्योगिक इकाईयों को बंद करने/यथोचित स्थल पर स्थानान्तरित कराने हेतु पूर्व जारी शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उसकी अनुपालन सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई-मेल ceo4@uppcb.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-NGT-613(1)/81-7-2019-152(रिट)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-एच 43645/सी-4/ओ0ए0 संख्या-64/2019, दिनांक 13.11.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Annexure-3
संलग्नक-III

अरविन्द कुमार
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
ई मेल – chairmanuppcl@gmail.com
Phone : 0522-2287827 (O)

पत्रांक 1817 / यू0आर0(का0एवं0उ0ल0) / राजस्व प्रथम / नि0मि0

दिनांक 02.11.2020

प्रबन्ध निदेशक
विद्युत वितरण निगम लि0,
दक्षिणांचल / मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल
आगरा / लखनऊ / वाराणसी / मेरठ

प्रबन्ध निदेशक
केस्को लि0
कानपुर।

विषय– निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त होने वाले रेड एवं ऑरेंज कैटेगरी के उद्योगों को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश।

महोदया / महोदय,

आप अवगत है कि निवेश मित्र पोर्टल पर औद्योगिक इकाइयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाते है एवं आवेदन सम्बन्धी प्रपत्र भी ऑनलाइन ही अपलोड किए जाते हैं। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति संहिता / डी0आर0ए0पी0 दिशा–निर्देश के अनुसार विद्युत संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर मात्र 03 प्रपत्रों को अपलोड किए जाने का प्राविधान है, जो कि निम्नवत है –

1 परिसरों के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य
2 कें0 एच0 एल0 फॉर्म
3 आवेदक का पहचान पत्र

उक्त के क्रम में यह अवगत कराना है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 09.07.2020 को सम्पन्न बैठक में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों के अन्तर्गत पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्न निर्णय लिया गया है –

*"प्रदेश में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना स्थापनार्थ अनापत्ति प्राप्त किए रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के प्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों को विद्युत संयोजन न दिया जाए। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त विद्युत विभाग द्वारा रेड एवं ऑरेन्ज कैटेगरी के उद्योगों को अस्थायी विद्युत संयोजन तत्पश्चात उद्योगों द्वारा संचालनार्थ सहमति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योगों को स्थायी विद्युत संयोजन प्रदान किया जाए।..........................."*

उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न निर्देश निर्गत किए जा रहे है –

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न उद्योगों को प्रदूषण इण्डेक्स के आधार पर रेड, ऑरेंज, ग्रीन एवं व्हाइट कैटेगरी में विभाजित किया गया है। वर्तमान में कुल 89 इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप को रेड कैटेगरी के अन्तर्गत तथा 104 इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप को ऑरेंज कैटेगरी के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है, जिसकी सूची उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक जी33335 / सी–6 / सा–52 / ओ.ए.एन –116 / 2014 / 2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा उपलब्ध कराई गई है एवं आपके अवलोकनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।

3. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाए।

4. रेड एवं ऑरेंज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप के लिए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र तथा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र की आवश्यकता वर्तमान मे निर्धारित उपरोक्त वर्णित तीन प्रपत्रों के अतिरिक्त होगी।

5. इस सम्बन्ध में यह वांछित है कि अस्थाई / स्थाई संयोजन निर्गत करने वाले प्रत्येक अधिकारी उपरोक्त श्रेणी वर्गीकरण तथा इसकी सूची से भिज्ञ होते हुए संयोजन सम्बन्धी कार्यवाही करे।

Scanned with CamScanner

6. उ0प्र0पा0का0लि0 के आई0टी0 विंग द्वारा इस निर्णय को पोर्टल पर इण्टीग्रेट करने के लिए प्रॉसेस निर्धारित किया जाएगा तथा उद्योग बन्धु से समन्वय करते हुए इसे क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उ0प्र0 शासन के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष

पत्रांक: /मु0अभि0(वा0एवक0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0भि0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
5. अधीक्षण अभियन्ता, आई0टी0 विंग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

(अरविन्द कुमार)
अध्यक्ष